श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110 016

क्रमांक.ला.ब.शा. / राज भाषा / 2018–19 / 573 दिनांक 24.09.2018
05.10.2018

कार्यालयीय –आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चत्तर शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन नई दिल्ली द्वारा विद्यापीठ की जनवरी से मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मंत्रालय द्वारा समीक्षा करने पर पाया गया कि :–

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन है नियमानुसार ऐसे सभी दस्तावेजों शत–प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। कार्यालय में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस उपधारा के अंतर्गत आने वाले सभी **कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, तथा अन्य रिपोर्ट नियम,करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, संसद प्रश्न तथा संसद को प्रस्तुत** की जाने वाली सामग्री आदि को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।
2. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में नहीं दिए जा रहे । जबकि इन पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने चाहिए।
3. मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्यों के काफी कम है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जाए।

कृपया उपर्युक्त दर्शाई गई कमियों को दूर करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के साथ इसकी सूचना मंत्रालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र पर दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

अजीत सिंह
सहायक कुलसचिव
(प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव /अनुभाग अधिकारी
3. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर करें।
4. कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियता / महिला अध्ययन केन्द्र
5. पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रकाशन विभाग
6. कुलपति / कुलसचिव / वित्ताधिकारी के निजी सचिव

अजीत सिंह
सहायक कुलसचिव
(प्रशा0)